SANDEEP PARIHAR
Advocate (Rajasthan High Court)
Opp. CJM Court, Court Campus
Sikar, Rajasthan-332001
Reg. No R/495/1996
Mobile-8209353959/9314656654

Office\Residence
New Sikar City Colony,
Sanwali Circle, Jaipur Bikaner
Bypass, Sikar (Raj.)-332021
email: sandeepparihar37597
@gmail.com

Sr.No. 102/ADV/22.11.2022

Date 22-11-2022

To,

Registrar (RERA),
2nd and 3rd Floor, RSIC Building,
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme,
Jaipur.

Sub:- Title search report of **Residential Property Project "Shyam Vatika Aawasiya Yojana"** for Registration Certificate of Project under RERA, ACT, 2016 in respect of **Khasara No. 1114/269 Rakba/Area 0.2450 Hectare** Revenue village Ghorana Patwar Halka Kudli Tehsil and District Sikar **belongs to Mr. Kanaram Saini S/o Shri Nanuram Saini R/o Vill. Ghorana Tehsil and Disrict sikar ; Total Rakba/Area 2450.00 Sq. Mtr..**

Brief history of title:- According to Jamabandi Samwat 2075-2078, **1114/269 Rakba/Area 0.2450 Hectare** , Situated at Village Ghorana, Patwar Halka Kudli, Tehsil And District Sikar, Rajasthan, above Khasara Land Completely **belongs to Khatedar Mr. Kanaram Saini S/o Shri Nanuram Saini R/o Vill. Ghorana Tehsil and Disrict sikar, Rajasthan** and **Khasara No. 1114/26999 Rakba 0.2450 Hectare** Land Completely belongs to khatedar **Mr. Kanaram Saini S/o Shri Nanuram Saini R/o Vill. Ghorana Tehsil and Disrict sikar, Rajasthan.**

Thereafter, Khatedar Mr. Kanaram Saini S/o Shri Nanuram Saini decided to develop a residential colony in their land and applied for conversion of land **Khasara No. 1114/269 Rakba/Area 0.2450 Hectare** under Jurisdicton in the office Of Nager Vikash Nyas Sikar Rajasthan by submitting all previous title documents/ jamabandi.

Thereafter , the office of Nager Vikash Nyas Sikar Rajasthan converted the use of land of **Khasara No. 1114/269 Rakba/Area 0.2450 Hectare** from agricultural to Non Agricultural Residential purpose under section 90(A) of Rajasthan Land Revenue Act, 1956; **vide order No. Nagar Vikash Nyas/Revenue/2021/4727, Dated 14-10-2021.**

Sandeep Parihar
Advocate
Rajasthan High Court
SIKAR (Raj.)

Thereafter, **Mr. Kanaram Saini S/o Shri Nanuram Saini applied** for approval of **project site plan in above mentioned Residential converted land Scheme** "**Shyam Vatika Aawasiya Yojana"** in the office of UIT Sikar, Rajasthan.

Then, office of UIT Sikar approved the project site map of this land scheme "**Shyam Vatika Aawasiya Yojana"** vide letter No.- **Nagar Vikash Nyas / Niyaman /2022/4765, Dated 03-11-2022** under term and condition of Township Policy 2010.

Mr. Kanaram Saini S/o Shri Nanuram Saini is absolute owner of the said residential converted land as per the records available.

I, further certify that **Mr. Kanaram Saini S/o Shri Nanuram Saini** shall have a valid and marketable title/right in the property and same is free from any encumbrances, charges, lien and attachment.

Search receipt enclosed, Document Sr. No. 202202327032648 Dated 21-11-2022 herewith for ready reference.

22/11/22

SANDEEP PARIHAR,
Advocate (Sikar)

Sandeep Parihar
Advocate
Rajasthan High Court
SIKAR (Raj.)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SIKAR

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 21-11-2022 4:12 PM

Fee Receipt No	:	202202327032648	Receipt Date	:	21/11/2022
Name	:	ADV. SANDEEP PARIHAR, KANARAM SAINI S/o NANURAM SAINI	Document S. No.	:	202201327031977
Address	:	GHORANA			
Document Type	:	Inspection And Search			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 0	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 0	Stamp Duty	:	₹ 0
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 250
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 250**
From Year 2018 To Year 2022			**Total Amount**	:	**₹ 250**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 68681790 ₹ 250

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग सीकर (राज.)

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– न.वि.न्या / नियमन / 2022 / 5765 दिनांकः–03/11/22

प्रेषितीः–

कानाराम सैनी पुत्र श्री नानूराम सैनी
जाति माली नि. घोराणा
तह. व जिला सीकर।

विषयः– राजस्व ग्राम घोराणा तहसील सीकर के खसरा सं. 1114 / 269 रकबा 0.2450 है. अर्थात् कुल रकबा 2450.00 वर्गमीटर भूमि में श्याम वाटिका आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम घोराणा तहसील सीकर के खसरा सं. 1114 / 269 रकबा 0.2450 है. अर्थात् कुल रकबा 2450.00 वर्गमीटर भूमि में श्याम वाटिका आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है –

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय / बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यो के लिए निर्धारित है।
5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
6. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
7. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
8. आन्तरिक विकास कार्यो के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 2 व 10) भू–खण्ड का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintnance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
10. बोरिंग / ट्यूबवेल / पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
11. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए. वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– योजना मानचित्र।

नगर विकास न्यास सीकर

(राजपाल यादव, RAS)
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

GOOGLE MAP

SECTOR MAP

SHREE SHYAM VATIKA

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 1114/269 GHORANA, DISTT. SIKAR
REVENUE VILL. GHORANA, DISTT. SIKAR (RAJ.)

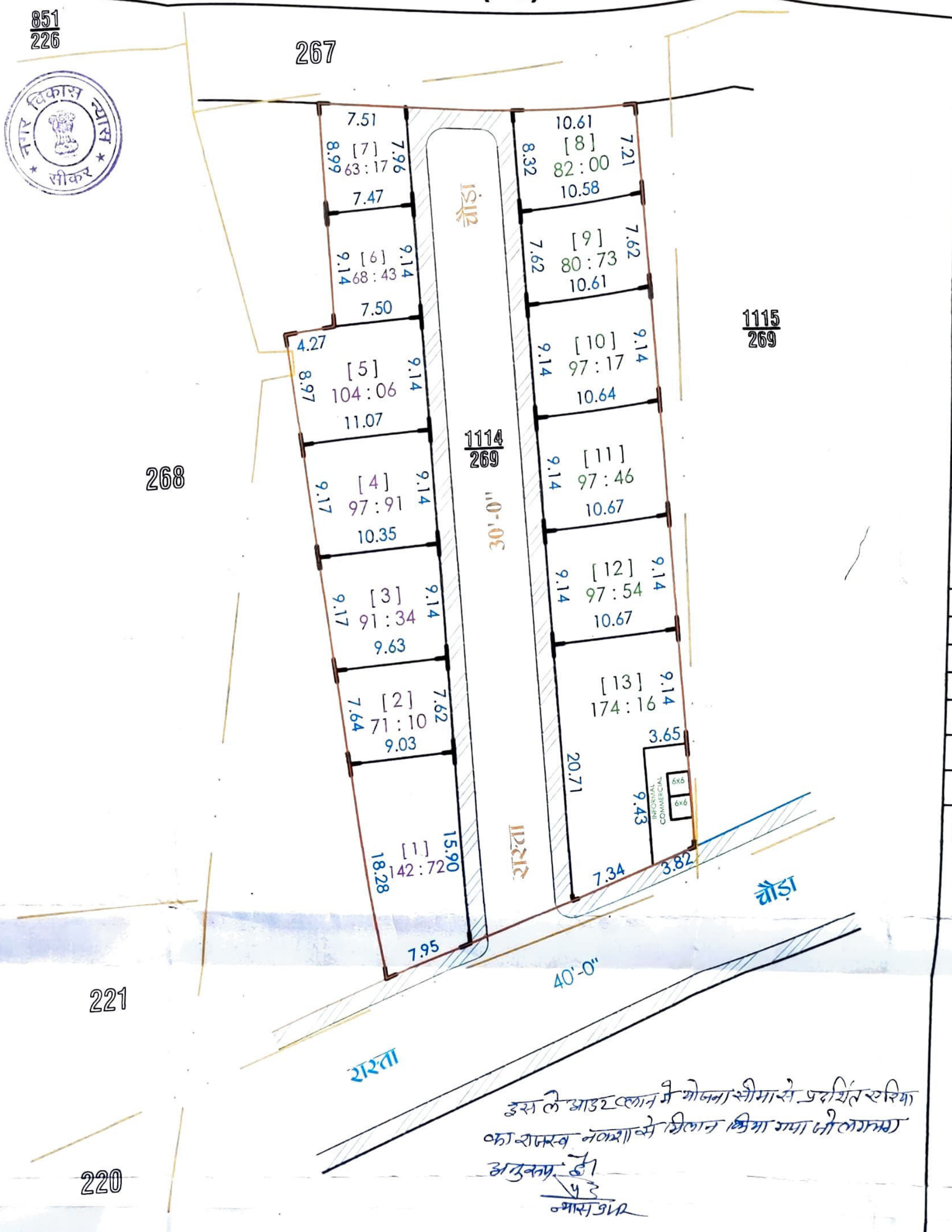

इस ले आउट प्लान में योजना सीमा से प्रदर्शित खसरा का राजस्व नक्शा से मिलान किया गया जो लगभग अनुरूप है
न्यास

URBAN IMPROVEMENT TRUST (UIT), SIKAR.

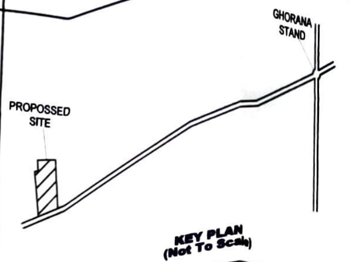

KEY PLAN (Not To Scale)

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	1265.91	66.50%
2.	INFORRMAL	32.48	1.70%
3.	ROAD	603.45	31.8%
4.	TOTAL	1901.84	100.00%

SCHEME PLOTS DETAILS

		NO. PLOTS
1.	PLOTS	NO. PLOTS
2.	RESIDENTIAL	13
3.	INFORMAL COMMERCIAL	1

— · · · —	SCHEME BOUNDARY
———	PLOT BOUNDARY
— · — · —	KHASRA LINE

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN METER

07/10/2022
(मोहम्मद अजहर जादू)
नगर नियोजक

07/10/22
सहायक अभियन्ता
नगर विकास न्यास, सीकर

7/10/22
राजपाल यादव (RAS)
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

DK & ASSOCIATES
ENGINNERS | VALUERS | PLANNERS | CONSULTANTS
Er. Devendra K Jangir
Add: Shop no. 5, Jangid Bhawan, Oppo. Court, Sikar (Raj.)
e-mail: devassociate11@gmail.com
Mob. No. 9602295096

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़ सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajatsthan.gov.in, फोन नं. 01572–251240, 252240

क्रमांकः– न.वि.न्या/राजस्व/2021/4727 दिनांकः– 14/10/21

आदेश

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90अ(5),(8) एवं उपधारा 13(5)

नगर विकास न्यास सीकर के क्षेत्राधिकार की तथा सीकर शहर के मास्टर प्लान 2011–2031 में शामिल नगरीय क्षेत्र की निचे वर्णित राजस्व ग्राम एवं खसरों की खातेदारी कृषि भूमि को खातेदारों द्वारा सक्षम स्वीकृति के बिना भूमि का मौके पर गैर कृषि उपयोग कर लिया गया है/ किया जा रहा है। भूमि के विधि विरूद्ध गैर कृषि उपयोग की जाँच कर लेने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों एवं मौके पर काबिज व्यक्तियों को खातेदारी अधिकारो के निर्वापन एवं बेदखली हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के विपरीत होने के कारण खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90क सपठित धारा 91 के अधीन बनाये गये नियमों एवं उपबन्धों के प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 13(1) के तहत नोटिस एवं नियम 13(2) के तहत दैनिक समाचार पत्र में लोकसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसके प्रत्युत्तर में खातेदारों/ हितधारको द्वारा निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90अ(5), उपधारा 13(5) एवं धारा 91 के तहत निम्न खातेदारों/ कब्जाधारकों/ हितधारकों को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली की कार्यवाही करने तथा धारा 90अ(8) के तहत संलग्न सूची अनुसार खातेदारों के नाम दर्ज खातेदारी भूमि के निर्वापन करने के आदेश दिये जाते है। निर्वापित भूमि की किस्म मास्टर प्लान 2031 के अनुसार गै.मु. आवासीय दर्ज करते हुए भूमि नगर विकास न्यास सीकर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

राजस्व ग्रामः– घोराणा

क्र.सं.	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा	किस्म	खातेदार का नाम मय शकूनत खातेदार का विवरण
1	14	1113/269	0.2200	बारानी 2	कानाराम पुत्र नानू जाति माली सा. देह।
		1114/269	0.2450	बारानी 2	
2	12	1119/284	0.0100	चाही 2	कानाराम, नन्दलाल पुत्रगण नानू जाति माली सा. देह।
		268	0.6800	गै.मु.आबादी	
		283	0.02	गै.मु.चाह	
3	95	1203/281	0.28	बारानी 2	गीगाराम पुत्र सुरजाराम हि. 5991/28000 जाति माली सा. देह बाबूलाल, रिछपाल पुत्रगण भंवरलाल हि. 3994/28000 हि.ब. भंवरलाल पुत्र धीसालाल हि. 143/2800 विकास, विनोद पुत्रगण परसाराम हि. 3994/16800 हि.ब. संतोष पत्नि परसाराम, हि. 1997/16800 समस्त जाति माली सा.देह गोविन्दराम पुत्र जगदीश हि. 21/1600 चेतन कुमार पुत्र देवकरण हि. 21/1600 चम्पालाल, बद्रीप्रसाद पुत्रगण मनालाल हि. 21/800 हि.ब. समस्त जाति नाई सा. देह। रतनी देवी पत्नि भीमसिंह हि. 17/140 जाति राजपूत नि. ढाणी बाढान तह. खेतडी विक्रम सिंह पुत्र मगन सिंह हि. 173/2800 जाति राजपूत नि. जाट कॉलोनी पिपराली रोड सीकर।
4	78	850/226	0.100	बारानी 2	मोहम्मद जाफरहुसैन, मो. युसुफ, मो. सब्बीर पुत्रगण गनी जाति धोबी मुसलमान सा. सीकर।
		854/228	0.1200	बारानी 2	
5	45	271	0.040	बारानी 1	ओमप्रकाश, रामस्वरूप, सांवरमल, बाबुलाल पुत्रगण पदमाराम हि. 1/8 हि.ब. शान्ती, संतोष, सोहनी पुत्रियां पदमाराम हि. 3/32 हि.ब. दड़की पत्नि स्व. कालू हि. 1/8 दिशान्त सैनी, हिमान्शु पुत्रगण कमलकिशोर हि. 1/64 हि.ब.रवीना पुत्री कमलकिशोर हि. 1/128 सुनितादेवी पत्नि कमलकिशोर हि. 1/128, परमेश्वरी पत्नि कजोड़ हि. 1/40, बनवारीलाल, मून्नाराम, विनोदकुमार, मनोहरलाल पुत्रगण कजोड़ हि. 1/10, मांगीलाल पुत्र नारायण हि. 1/4, मांगीलाल पुत्र कालू हि. 1/8, मगना पुत्र रामू हि. 1/8 समस्त जाति माली सा. देह।
6	38	1115/269	0.4650	बारानी 2	नन्दलाल पुत्र नानू जाति माली सा. देह।
7	112	1200/279	0.2700	बारानी 2	कमलादेवी पत्नि सोहनलाल हि. 41/1350 जाति माली सा. देह राजकुमार पुत्र भागीरथमल हि. 34/225 जाति कुमावत सा. रघुनाथगढ, सत्यनारायण पुत्र सागरमल हि. 221/270 जाति जाट तह. चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
8	124	1018/217	0.4433	बारानी 2	सोहनलाल पुत्र कजोड जाति माली सा. घोराणा।
9	110	1252/180	2.3583	बारानी 2	बनवारीलाल आर्य पुत्र गणेशराम हि. 4400/23583 नवलड़ी, शेरसिंह पुत्र मोहनलाल सुण्डा हि. 19183/23583 जाति जाट कूदन हाल आबाद आनन्द नगर सीकर सा. देह।
10	113	202	0.8800	बारानी 2	सांवरमल पुत्र घीसालाल जाति माली सा. देह।

प्राधिकृत अधिकारी (सचिव)
नगर विकास न्यास, सीकर

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 26/07/2022 02:35:19 PM

जिला : सीकर तहसील : सीकर भू. अ. नि. क्षेत्र : कुड़ली

पटवारी हल्का : कुड़ली ग्राम : घोराणा

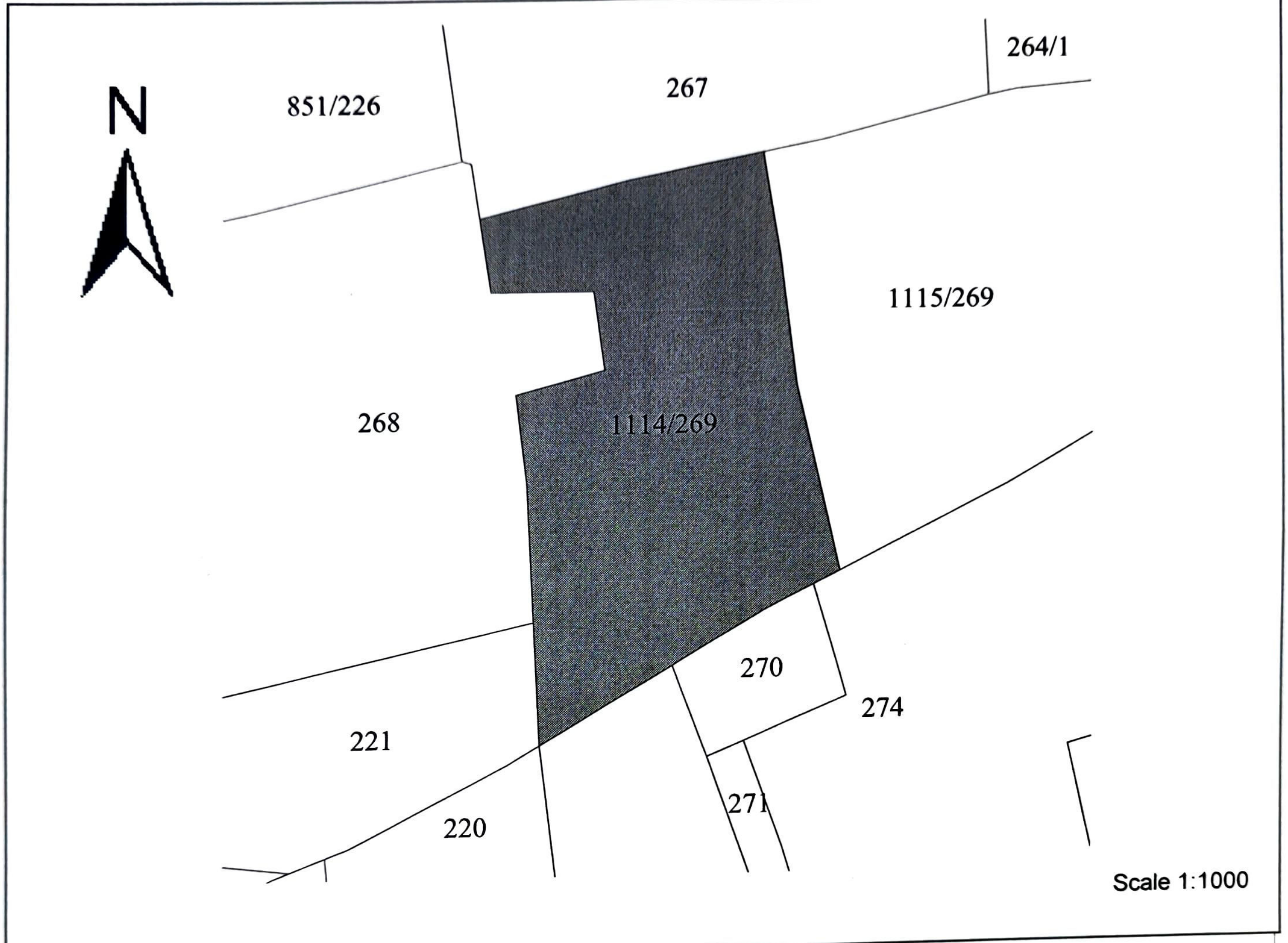

खसरा संख्या :1114/269 क्षेत्रफल : 0.2450 Hectare खाता संख्या : 132पुराना खाता संख्या :14

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

1.) नगर विकास न्यास सीकर (L.R. Act 1956 की धारा 90A व 90 B से प्राप्त भूमीयां) हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- घोराणा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी

पटवार हल्का :- कुड़ली

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- कुड़ली

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- सीकर

खाता संख्या नया :- 132

जिला :- सीकर

खाता संख्या पुराना :- 0

काश्तकार का नामः-

1. नगर विकास न्यास सीकर (L.R. Act 1956 की धारा 90A व 90 B से प्राप्त भूमीयां) हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1017/217	0.4433	गै.मु. आवासीय 0.4433			स्वीक्रत नामांतरकरण : 81 20/05/2019 न्याया. आदेश	
1018/217	0.4433	गै.मु. आवासीय 0.4433			स्वीक्रत नामांतरकरण : 83 27/05/2019 न्याया. आदेश	
1019/217	0.4434	गै.मु. आवासीय 0.4434			स्वीक्रत नामांतरकरण : 84 28/06/2019 न्याया. आदेश	
1030/215	0.5600	गै.मु. आवासीय 0.5600			स्वीक्रत नामांतरकरण : 88 01/10/2019 न्याया. आदेश	
1032/215	0.0500	गै.मु. आवासीय 0.0500			स्वीक्रत नामांतरकरण : 114 17/08/2020 न्याया. आदेश	
1033/215	0.2600	गै.मु. आवासीय 0.2600			स्वीक्रत नामांतरकरण : 124 24/02/2021 न्याया. आदेश	
1034/215	0.5600	गै.मु. आवासीय 0.5600			स्वीक्रत नामांतरकरण : 133 07/07/2021 न्याया. आदेश	
1064/285	0.4600	गै.मु.आवासीय 0.4600			स्वीक्रत नामांतरकरण : 134 16/07/2021 न्याया. आदेश	
1066/285	0.1000	गै.मु. आवासीय 0.1000			स्वीक्रत नामांतरकरण : 143 10/09/2021 न्याया. आदेश	
1067/285	0.4600	गै.मु. आवासीय 0.4600			स्वीक्रत नामांतरकरण : 148 11/11/2021 न्याया. आदेश	
1068/285	0.4600	गै.मु. आवासीय 0.4600			स्वीक्रत नामांतरकरण : 151 17/12/2021 न्याया. आदेश	
1107/208	0.9500	गै.मु.आबादी 0.9500			स्वीक्रत नामांतरकरण : 152 30/12/2021 न्याया. आदेश	
1108/184	4.6100	गै.मु.आबादी 4.6100			स्वीक्रत नामांतरकरण : 154 13/01/2022 न्याया. आदेश	
1110/236	2.4200	गै.मु.आबादी 2.4200			स्वीक्रत नामांतरकरण : 157 28/01/2022 न्याया. आदेश	
1113/269	0.2200	गै.मु. आवासीय 0.2200				
1114/269	0.2450	गै.मु. आवासीय 0.2450				
1115/269	0.4650	गै.मु. आवासीय 0.4650				
1144/182	0.6182	गै.मु.आबादी 0.6182				
1144/247	0.1124	गै.मु. आवासीय 0.1124				
1145/182	1.1718	गै.मु.आबादी 1.1718				
1151/170	0.3828	गै.मु.आबादी 0.3828				

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- घोराणा
पटवार हल्का :- कुड़ली
भू.अभि.नि. :- कुड़ली
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

सम्वत :- 2072 - 2075
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 14
खाता संख्या पुराना :- 27

काश्तकार का नाम:-
कानाराम पुत्र नानू जाति माली सा. देह

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1075/282	0.8130	चाही2	0.8130	18.6990			
1077/284	0.6508	चाही2	0.1008	2.3184			
		जाव2	0.5500	6.3250			
1112/277	0.5000	बारानी 2	0.5000	3.0000			
1113/269	0.2200	बारानी2	0.2200	1.3200			
1114/269	0.2450	बारानी2	0.2450	1.4700			
कुल खसरे - 5	2.4288		2.4288	33.14			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है|
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्ष्य के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 2-Dec-2022

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001
ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– न.वि.न्या / नियमन / 2022 / 5012 दिनांकः– 8/12/2022

संशोधित पत्र

प्रेषितीः–

कानाराम सैनी पुत्र श्री नानूराम सैनी
जाति माली नि. घोराणा
तह. व जिला सीकर।

विषयः– राजस्व ग्राम घोरणा तहसील सीकर के खसरा सं. 1114 / 269 रकबा 0.2450 है. में से 1901.84 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) भूमि पर श्याम वाटिका आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

प्रसंगः– न्यास पत्र क्रमांक न.वि.न्या / नियमन / 2022 / 4765 दिनांक 03.11.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्व ग्राम घोराणा तहसील सीकर के खसरा सं. 1114 / 269 रकबा 0.2450 है. भूमि में श्याम वाटिका आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु मौके पर भूमि 1901.84 मीटर ही उपलब्ध है एवं इसी अनुसार ले–आउट प्लान अनुमोदित किया गया था।

अतः राजस्व ग्राम घोराणा तहसील सीकर के खसरा सं. 1114 / 269 रकबा 0.2450 है. में से 1901.84 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) भूमि पर श्याम वाटिका आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रासंगिक पत्र की शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(राजपाल यादव RAS)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर